प्रेस-विज्ञप्ति

आबकारी विभाग दीव ने एक्सपायर बीयर की बोतलों को किया नियमानुसार नष्ट

दीव 21 जुलाई, 2020: दीव जिला समाहर्ता एवं आबकारी उपायुक्त श्रीमती सलोनी राय के निर्देश में दीव के आबकारी विभाग ने दीव के विविध थोक विक्रेताओं एवं खुदरा विक्रेताओं के स्टॉक में उपलब्ध बीयर की कई बोतलों को नष्ट करने का कार्य किया। इस संदर्भ में आबकारी उपायुक्त के आदेश के जरिये विशेष रूप से एक समिति का गठन किया गया और आबकारी नियमों के अनुरूप आबकारी विभाग की देखरेख में एक्सपायर डेट वाले बीयर की बोतलों को नष्ट करने का कार्य किया गया। इस समिति में दीव के उप-समाहर्ता, लेखा उप-निदेशक, आबकारी निरीक्षक एवं आबकारी उप-निरीक्षक शामिल रहे।

ध्यातव्य है कि लॉकडाऊन के कारण विविध खुदरा एवं थोक विक्रेताओं के पास बीयर की स्टॉक रखे रखे एक्सपायर हो गई। विभाग ने इसकी जांच कर इसकी सूचना आबकारी उपायुक्त को दी। इसके पश्चात उपायुक्त महोदया ने विभाग को एक्सपायर डेट वाले बीयर की बोतलों को तत्काल प्रभाव से नष्ट करने का आदेश दिया। इसी के तहत आज आबकारी विभाग, दीव ने बीयर के कैन को कल्पना डिस्टिलरी मलाला में और बीयर बोतलों को कृष्णा फ्रोजन फूड के एस.टी.पी. प्लांट में नष्ट किया। विभाग इन बोतलों और कैनों को इको-फ्रैंडली द्वारा प्रक्रिया के तहत नष्ट किया गया। इस दौरान लगभग पचास हजार बीयर की कैन और लगभग 10 हजार बीयर की बोतलों को नष्ट करने का कार्य किया गया। पूरी प्रक्रिया की वीडियों रिकार्डिंग विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है।

दीव के आबकारी विभाग द्वारा उपभोगकर्ताओं के सेहत को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर ऐसे कदम उठाये जाते हैं, ताकि किसी भी प्रकार की त्रुटिपूर्ण शराब एवं बीयर की बोतलें बाजार में न जा सके।

हस्ता/-

(दिक्षित चारणिया)

आबकारी निरीक्षक

दीव